प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं.886/2023

(सत्र विचारण सं.166/2022 में 3 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–2–2023 से उत्पन्न)

देवप्रताप, पिता बलभद्र पावले, आयु पिता 35 वर्ष, निवासी केशगवा (सरायपारा), थाना उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

(कारागार में)

----अपीलकर्त्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्राधिकारी के द्वारा, अरक्षी केंद्र–उदयपुर, जिलासरगुजा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :श्री बृजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता/पैनल अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त।
उत्तरवादी/राज्य हेतु :डॉ. सुरेंद्र कुमार देवांगन, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल ,न्यायाधीश

30/04/2025

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत प्रस्तुत यह **दाण्डिक** अपील, सत्र विचारण क्रमांक 166/2022 में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा पारित दिनांक 27–2–2023 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरूद्ध है, जो 1973 के अधिनियम के अनुसार सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के अंतर्गत आता है जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 307 भादवि के तहत दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/– रूपये के अर्थदण्ड का दंड पारित किया गया है, अर्थदण्ड न चुकाने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 14–8–2022 को लगभग शाम 5 बजे, पुलिस थाना उदयपुर, जिला सरगुजा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केशगावा में अपीलार्थी ने अपनी पत्नी मनमती गोंड की आंख पर लोहे की हंसिया से हमला किया और दाहिनी आंख की पुतली को आंख की कक्षा से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपराध कारित किया।कुलन साई (पीडब्लू–2) – पीड़िता के पिता ने पुलिस स्टेशन उदयपुर में एक्स.पी–3 के तहत लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके अनुसार आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और 326 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक्स.पी–4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी को एक्स.पी–7 के तहत गिरफ्तार किया गया और एक्स.पी–5 के तहत उसका ज्ञापन बयान दर्ज किया गया, जिसके अनुसार एक्स.पी–6 के तहत उसकी निशानदेही पर लोहे की हंसिया बरामद की गई थी।पीड़िता की एक्स.पी–9 के तहत डॉ. योगेंद्र पैकरा (पीडब्लू–6) द्वारा चिकित्सकीय जांच की गई, जिन्होंने उसे शासकीय मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर रेफर कर दिया, जहां वह नौ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही।डॉ. प्रियंका गुप्ता (पीडब्लू–7) अर्थात् एक्स.पी–12 की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की दाहिनी आंख पर गंभीर चोट आई है और दाहिनी आंख गायब है।दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए और मामले की जांच की गई।इसके बाद, सामान्य जांच के बाद, अपीलकर्ता को क्षेत्राधिकार वाली दाण्डिक न्यायालय के समक्ष आरोप–पत्र दाखिल किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध साबित करने के लिए 10 साक्षीयों की जांच की और 14 दस्तावेज एक्स.पी–1 से पी–14 तक अभिलेख पर लाए।बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में न तो किसी साक्षी से पूछताछ की और न ही कोई दस्तावेज पेश किया।

4.विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद, इस निर्णय के शुरुआती कंडिका में उल्लिखित अपीलकर्ता को दोषी ठहराया, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील पेश की गई थी।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है और अन्यथा भी दी गई दंड अधिक है, इसलिए अपील को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता डॉ. सुरेन्द्र कुमार देवांगन ने अपील का विरोध किया और दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश के विवादित निर्णय का समर्थन किया तथा कहा कि जिस प्रकार अपीलार्थी ने अपनी पत्नी पर लोहे की हंसिया से हमला किया तथा दाहिनी आंख को बलपूर्वक आंख की कक्षा से बाहर निकाल दिया, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी के प्रति किसी प्रकार की नरमी बरती जाए तथा अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वात्मक तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

8. घायल साक्षी श्रीमती मानमती उर्फ मानमती गोंड (पीडब्लू–1) यहां अपीलकर्ता की पत्नी है।उसने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना दिनांक को वह घर पर थी, अचानक, फसल काटने में उपयोग होने वाले लोहे के हंसिया से लैस अपीलकर्ता उसके पास आया और बलपूर्वक उसकी दाहिनी आंख की पुतली को आंख के कक्ष से बाहर निकाल दिया, जिससे वह अचेत हो गई और उसकी आंख की पुतली चूल्हे में फेंक दी गई, इसके बाद अपीलकर्ता उसके शरीर को बोरे में भरकर नदी में फेंकने के लिए ले जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसे उसके बच्चों विकास और बिंदेश्वरी ने बचा लिया।सर्वप्रथम उसकी मेडिकल जांच डॉ. योगेंद्र पैकरा (पीडब्लू–6) द्वारा एमएलसी रिपोर्ट एक्स.पी–9 के माध्यम से की गई, जिसके अनुसार दाहिनी आंख के आसपास सूजन पाई गई और अत्यधिक दर्द के कारण आंख खोलना संभव नहीं था। इसके बाद उसे नेत्र परामर्श और आगे की आवश्यक प्रबंधन के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां डॉ. प्रियंका गुप्ता (पीडब्लू–7) द्वारा उसकी जांच की गई और उसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एक्स–रे कराने की सलाह दी गई। डॉ. प्रियंका गुप्ता (पीडब्लू–7) की एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार, 24–8–2022 को पीड़िता श्रीमती मानमती उर्फ मानमती गोंड (पीडब्लू–1), जो यहां अपीलकर्ता की पत्नी है, की एक बार फिर जांच की गई और उसकी दाहिनी आंख पूरी तरह से अनुपस्थित पाई गई और सोनोग्राफी और सीटी स्कैन करने पर भी दाहिनी आंख पूरी तरह से गायब पाई गई। पीड़िता का बेड हेड टिकट एक्स.पी–11 के रूप में प्रदर्शित किया गया। डॉ. प्रियंका गुप्ता (पीडब्लू–7) ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि पीड़िता की सोनोग्राफी जांच और सीटी स्कैन रिपोर्ट में, दाहिनी आंख की पुतली पूरी तरह से अनुपस्थित थी और वहां केवल हवा के बुलबुले मौजूद थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलकर्ता की ओर से पीड़िता (पीडब्लू–1) से जिरह की गई है, लेकिन उसके साक्ष्य से ऐसा कुछ भी नहीं निकला है कि यह अपीलकर्ता नहीं है जिसने उसे उपरोक्त चोट पहुंचाई है और इसलिए डॉ. योगेंद्र पैकरा (पीडब्लू–6) और डॉ. प्रियंका गुप्ता (पीडब्लू–7) के चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित पीड़िता (पीडब्लू–1) के बयान को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है।इस प्रकार, यह पाया गया है कि पीड़ित की दाहिनी आंख पूरी तरह से गायब है और यह अपीलकर्ता है जिसने पीड़ित को चोट पहुंचाई है और आंख की कक्षा से दाहिनी आंख को जबरदस्ती बाहर निकाला है और इसके अलावा, जोड़ने वाली नेत्र तंत्रिकाएं भी अनुपस्थित थीं और कटी हुई पाई गईं।

10. हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री बृजेश कुमार सिंह का तर्क है कि भा.दं. सं. की धारा 307 नहीं बनती है और अधिक से अधिक, भा.दं. सं. की धारा 325 के तहत अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध बनाया जाएगा।

11.इस स्तर पर, भा.दं. सं. की धारा 307 पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें कहा गया हैः–––"

"307. हत्या का प्रयत्न।जो कोई कोई कार्य ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित

किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति होती है, तो अपराधी या तो आजीवन कारावास से, या इसमें पूर्व वर्णित दण्ड से दण्डनीय होगा।आजीवन कैदियों द्वारा प्रयत्न।जब इस धारा के तहत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की दंड के अधीन हो, तो उसे, यदि चोट पहुंचाई जाती है, तो मृत्यु दंड दिया जा सकता है।"

12. भा.दं. सं. की धारा 307 के तहत अपराध के मामले में साबित होने के लिए आवश्यक तत्व हैं:---"

(i) कि किसी मनुष्य की मृत्यु का प्रयत्न किया गया था;

(ii) कि अभियुक्त के कृत्य के कारण या उसके परिणामस्वरूप ऐसी मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया गया था; और

(iii) कि ऐसा कृत्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था; या कि ऐसा कृत्य ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से किया गया था

(क) अभियुक्त जानता था कि इससे मृत्यु कारित हो सकती है; या (ख) प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था, या अभियुक्त ने ऐसा कृत्य करके मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया था जो उसे इतना आसन्न रूप से खतरनाक मालूम था कि इससे सभी संभाव्यता में (क) मृत्यु, या (ख) ऐसी शारीरिक चोट कारित होनी चाहिए जिससे मृत्यु कारित हो सकती है, अभियुक्त के पास ऐसी मृत्यु या चोट कारित करने का जोखिम उठाने का कोई बहाना नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह एवं अन्य 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भा.दं. सं. की धारा 307 के तहत न्यायालय को यह देखना है कि क्या कार्य, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, प्रावधान में वर्णित आशय या ज्ञान और परिस्थितियों के तहत किया गया था।अभियुक्त का आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या का गठन करने के लिए आवश्यक हो।इस तत्व के स्थापित होने के बिना, "हत्या का प्रयत्न" का कोई अपराध नहीं हो सकता है।धारा 307 के तहत, अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्य से पहले ही आशय का पता लग जाता है। इसलिए, आशय को सभी परिस्थितियों से समझा जाना चाहिए, न कि केवल उसके परिणामों से। इसके अलावा, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया, अपराध का उद्देश्य, वार की गंभीरता, शरीर का वह हिस्सा जहां चोट पहुंचाई गई, कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें आशय का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

14. इसी तरह, **महाराष्ट्र राज्य बनाम काशीराव और अन्य 2** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया है कि भा.दं. सं. की धारा 307 के आवेदन के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली चोट वास्तव में पहुंचाई गई हो। लगी हुई चोटें, हमले का तरीका और इस्तेमाल किए गए हथियार स्पष्ट रूप से भा.दं. सं. की धारा 307 के तहत मामला बनाते हैं। रिपोर्ट के कंडिका 21 में माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"21. धारा 307 के तहत अपराध में हत्या के अपराध के सभी तत्व मौजूद हैं, सिवाय पीड़ित की मृत्यु के। धारा 307 के आवेदन के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली चोट वास्तव में पहुंचाई गई हो। लगी हुई चोटें, हमले का तरीका और इस्तेमाल किए गए हथियार स्पष्ट रूप से भा.दं. सं. कि धारा 307 का मामला बनाता हैं। लेकिन चूंकि सजा और जुर्माना बरकरार रखा गया है, इसलिए सजा में कोई संशोधन किए बिना दोषसिद्धि में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।....."

15. परशुराम पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 3 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए अपराध के दो तत्व मौजूद होने चाहिए: (क) हत्या करने का आशय या उससे संबंधित ज्ञान; और (ख) हत्या करने की दिशा में कोई कार्य करना। रिपोर्ट के कंडिका 15 में इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:---"

"15. धारा 307 के तहत अपराध गठित करने के लिए अपराध के दो तत्व मौजूद होने चाहिए:

(क) हत्या करने का आशय या उससे संबंधित ज्ञान; और

(ख) हत्या करने के लिए कोई कार्य करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 307 के प्रयोजन के लिए जो महत्वपूर्ण है वह आशय या ज्ञान है, न कि इरादे को पूरा करने के उद्देश्य से किए गए वास्तविक कार्य का परिणाम।यह धारा स्पष्ट रूप से उस कृत्य पर विचार करती है जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है, लेकिन जो हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियों के कारण इच्छित परिणाम लाने में विफल रहता है। अभियुक्त का आसय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या का गठन करने के लिए आवश्यक हो। आशय या ज्ञान की अनुपस्थिति जो धारा 307 का आवश्यक घटक है, "हत्या के प्रयास" का कोई अपराध नहीं हो सकता है। आशय जो मन की एक स्थिति है, उसे सटीक प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है, एक तथ्य के रूप में इसे केवल अन्य कारकों से ही पता लगाया या अनुमान लगाया जा सकता है।....."

16. इसी प्रकार, जगे राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 4 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के तत्वों को निर्धारित किया है तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"12. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष को (☐) हत्या करने का आशय; तथा (ii) अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य स्थापित करना होगा। अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के साक्षी की हत्या करने का प्रयास किया था। अभियुक्त व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का आशय था या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली घातक चोट पहुंचाई गई हो।यद्यपि वास्तव में पहुंचाई

गई चोट की प्रकृति अभियुक्त के इरादे के बारे में निष्कर्ष निकालने में सहायक हो सकती है, लेकिन ऐसे आशय को अन्य परिस्थितियों से भी जोड़ा जा सकता है।अभियुक्त के आशय को परिस्थितियों से समझा जाना चाहिए जैसे कि प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, घटना के समय अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त शब्द, हत्या का उद्देश्य अभियुक्त का नाम, शरीर का वह भाग जहां चोट पहुंचाई गई, चोट की प्रकृति और दिए गए प्रहारों की गंभीरता आदि।

14. सुखबीर के सिर पर चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार, चोटों की प्रकृति, चोट की जगह और वार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने भा.दं. सं. कि धारा 307 के तहत दूसरे अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए। हमारे विचार से, धारा 307 आईपीसी के तहत दूसरे अपीलकर्ता राजबीर उर्फ राजू की सजा अप्रतिरोध्य है।"

17. **हरि मोहन मंडल बनाम झारखंड राज्य 5** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है कि इसके निष्पादन में कोई स्पष्ट कार्य के साथ–साथ कोई आशय भी मौजूद हो।आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि चोट पहुँचाने का उद्देश्य या इरादा मृत्यु का कारण बनना है, तो चोट की अनुष्ठानिक प्रकृति, सीमा या चरित्र या क्या ऐसी चोट वास्तव में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, ये वास्तव में ऐसे कारक हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि का निर्धारण करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने कंडिका 11 में निम्नलिखित टिप्पणी की:---"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11. धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है कि इसके निष्पादन में कोई प्रत्यक्ष कार्य के साथ–साथ कोई आशय भी मौजूद हो।यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो।यदि चोट पहुंचाने का उद्देश्य या आशय मृत्यु का कारण बनना है, तो चोट की अनुष्ठानिक प्रकृति, सीमा या चरित्र या क्या ऐसी चोट वास्तव में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, ये वास्तव में ऐसे कारक हैं जो भारतीय दंड संहिता कि धारा 307 के तहत दोषसिद्धि का निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से असंगत हैं। यह धारा अभियुक्त के कार्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है।न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, इसके परिणाम के बावजूद, धारा में उल्लिखित आशय या ज्ञान और परिस्थितियों के तहत किया गया था। इसलिए, भारतीय दंड संहिता कि धारा 307 के तहत आरोप से किसी आरोपी को केवल इसलिए दोषमुक्त करना सही नहीं है क्योंकि पीड़ित को दी गई चोटें एक साधारण चोट की प्रकृति की थीं।"

18. इसी तरह, **शिवमणि और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक** द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य 6 के मामले में, जगे राम (सुप्रा), **मध्य प्रदेश राज्य बनाम कान्हा 7 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम 8** में पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत

दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो और न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, इसके परिणाम के बावजूद, धारा में उल्लिखित आशय या ज्ञान और परिस्थितियों में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने कंडिका 9 में निम्नानुसार अवलोकन किया:---

"9. मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम, (2005) 5 एससीसी 554 में,न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता कि धारा 307, के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो।इस प्रकार, केवल इस आधार पर भारतीय दंड संहिता कि धारा 307, के तहत दोषसिद्धि न होना कि साधारण चोट पहुंचाई गई थी, स्वाभाविक रूप से नहीं माना जाता है।उसी निर्णय में, यह बताया गया कि न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, इसके परिणाम के बावजूद, धारा में उल्लिखित आशय या ज्ञान और परिस्थितियों के साथ किया गया था।' यह स्थिति कि केवल घातक चोट न लगने से धारा 307, आईपीसी की सजा रद्द नहीं होती है, जगे राम बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 11 एससीसी 366 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम कान्हा, (2019) 3 एससीसी 605 में दोहराई गई है।फिर भी, जगे राम (सुप्रा) और कान्हा (सुप्रा) में, यह देखा गया कि धारा 307, आईपीसी के तहत सजा बनाए रखने के लिए गंभीर या जानलेवा चोट जरूरी नहीं है, 'आरोपी की मंशा वास्तविक चोट, यदि कोई हो, के साथ-साथ आसपास की परिस्थितियों से भी पता लगाई जा सकती है। अन्य बातों के अलावा, इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति और किए गए वार की गंभीरता को इरादे का अनुमान लगाने के लिए माना जा सकता है।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. मामले के तथ्यों पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलकर्ता, लोहे की हंसिया, जो फसल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तेज धार वाला हथियार है, से लैस होकर अचानक आया और पीड़िता (पीडब्लू-1) अर्थात् श्रीमती मानमती उर्फ मानमती गोंड, जो उसकी पत्नी है, पर हमला कर दिया और उसकी दाहिनी आंख की पुतली को आंख के कक्ष से बाहर निकाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गई और उसके बाद उसने आंख की पुतली को चूल्हे में फेंक दिया और जब वह पीड़िता (पीडब्लू-1) को उसके शरीर को नदी में फेंकने के लिए बोरे में डालने के लिए ले जा रहा था, तो अपीलकर्ता और पीड़िता के बच्चों विकास और बिंदेश्वरी ने पीड़िता को बचा लिया। पीड़िता नौ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही।

20. जिस तरह से पीड़िता को गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, जिसे सीटी स्कैन और सोनोग्राफी रिपोर्ट और डॉक्टरों अर्थात् डॉ योगेंद्र पैकरा (पीडब्लू-6) और डॉ प्रियंका गुप्ता (पीडब्लू-7) की राय से साबित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता का अपनी पत्नी/पीड़िता श्रीमती मानमती उर्फ मानमती गोंड (पीडब्लू-1) की मौत का कारण बनने का आशय था, क्योंकि उसने न केवल शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात् आंख पर गंभीर चोट पहुंचाई, बल्कि आंख की कक्षा

से दाहिनी आंख की पुतली को बाहर निकाल कर चूल्हे में फेंक दिया और उसके शरीर को एक बोरे में डालकर नदी में फेंकने की भी कोशिश की। इस प्रकार, अपीलकर्ता का स्पष्ट रूप से पीड़िता (पीडब्लू–1) यानी अपनी पत्नी की मौत का कारण बनने का आशय था, जिससे वह बेहोश हो गई और नौ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही।

21. इस मामले को देखते हुए, चोट पहुंचाने के तरीके, इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति और चोट की गंभीरता को देखते हुए, अपीलकर्ता के आशय का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया है और उसे जुर्माना और चूक की शर्त के साथ सात साल के लिए सश्रम कारावास का दंड पारित किया गया है। मुझे अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है, यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

22. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजे जहां अपीलकर्ता अपनी जेल का दंड भुगत रहा है, तथा उसे सूचित करे कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur